संख्या- /2026/ /001-8-15-1-2026

प्रेषक,

कृष्ण कुमार गुप्त
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1- महानिदेशक,
स्कूल शिक्षा, उ०प्र०,
लखनऊ।
2- शिक्षा निदेशक (मा०),
उ०प्र०, लखनऊ।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 29 जनवरी, 2026

विषय:- प्रोजेक्ट अलंकार योजनान्तर्गत प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन संचालित राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में वित्तीय स्वीकृति। (वित्तीय वर्ष 2025-26)।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांकः सा०नि०वि० (मा०) / 7386-87 1/2025-26, दिनांक 01 फरवरी, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश के 08 जनपदों के 27 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को विद्युतिकरण से संतृप्त करने हेतु रू0 74.335 लाख की धनराशि स्वीकृति के सम्बन्ध में समिति द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में यथावश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में मानक मद-05 में प्राविधानित धनराशि रू० 47949.11 लाख में से अवशेष धनराशि के सापेक्ष प्रोजेक्ट अलंकार योजनान्तर्गत प्रदेश के कुल 08 जनपदों के 27 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को विद्युतिकरण से संतृप्त करने हेतु धनराशि रू0 7433561/- (रूपये चौहत्तर लाख तैंतीस हजार पांच सौ इकसठ मात्र) अवमुक्त किये जाने की निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक की होगी तथा वे यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(2) शिक्षा निदेशक (मा०) द्वारा सम्बन्धित जनपदों को वांछित धनराशि तत्काल आवंटन किया जाय तथा जनपदों द्वारा कार्यदायी संस्थाओं को यथासम्भव उसी दिन अथवा आगामी कार्यदिवस में धनराशि का हस्तान्तरण करते हुए शिक्षा निदेशक (मा०) को अवगत कराया जायेगा एवं पोर्टल पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) किसी भी वित्तीय अनियमितता का उत्तरदायित्व शिक्षा निदेशक माध्यमिक, वित्त नियंत्रक माध्यमिक एवं सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक का होगा।

(4) सम्बन्धित जनपदों को धनराशि लैप्स होने पर सम्बन्धित जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक

पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।

(6) प्रश्नगत धनराशि का उपयोग उसी कार्य/मद में किया जाएगा, जिस मद/कार्य के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(8) लेबर सेस की धनराशि नियमानुसार श्रम विभाग को भुगतान किया जाएगा।

(9) कार्य का सतत परीक्षण करते हुए गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाय।

(10) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जो कार्य कराया जा रहा है, उसके लिए पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित नहीं है।

(11) सम्बन्धित जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा यह प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा कि उक्त कार्य के लिए पूर्व में न ही कोई धनराशि स्वीकृत की गयी है और न ही उक्त कार्य के सम्पन्न होने के उपरान्त उक्त कार्य के लिए कोई भी धनराशि किसी अन्य मद या स्रोत से स्वीकृत की जायेगी।

(12) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जो धनराशि स्वीकृत कर दी गयी है, उसका उपभोग नियमानुसार ही किया जायेगा तथा प्रश्नगत कार्य हेतु प्राप्त अनुमानित लागत में किसी भी प्रकार की वृद्धि स्वीकार्य योग्य नहीं है।

(13) सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों द्वारा अपने कार्य क्षेत्र के समस्त प्रस्तावित विद्यालयों में निर्माण कार्य प्रारम्भ होने से कार्य पूर्ण होने तक कार्यों का नियमित अनुश्रवण व स्थलीय निरीक्षण (प्रत्येक 15 दिन में) करते हुए प्रश्नगत कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु प्रस्तावित विद्यालयों का भौतिक निरीक्षण (प्रत्येक सप्ताह) किया जायेगा तथा जनपद के विद्यालयवार स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र एवं जनपदीय टास्क फोर्स की गुणवत्ता आख्या शिक्षा निदेशक माध्यमिक, प्रयागराज के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। यदि योजनान्तर्गत आच्छादित विद्यालय में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, अधोमानक में कोई अन्य अनियमितता पायी जाती है तो सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक उत्तरदायी होंगे।

(15) निदेशालय स्तर पर कार्य की विशिष्टता, मानक, गुणवत्ता का विशेष ध्यान शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) द्वारा रखा जायेगा तथा यह कड़ाई से सुनिश्चित कराया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय-सीमा में हो।

(16) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-379 एच के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(17) उपरोक्त किये जाने वाले कार्यों के निरीक्षण हेतु शिक्षा निदेशक, माध्यमिक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर पोर्टल का निर्माण कराया जायेगा।

(18) उक्त पोर्टल पर जनपदवार प्रत्येक विद्यालय, जिनके लिए प्रश्नगत मद से धनराशि स्वीकृत की गयी है, कि कार्य से पूर्व, कार्य के समय एवं कार्य पूर्ण होने के पश्चात प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक मद में हुए कार्य की अलग-अलग प्रगति की फोटो अपलोड करायी जायेगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 74,33,561 (रुपये चौहत्तर लाख तैंतीस हजार पाँच सौ इकसठ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025 - 26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 072 **लेखा शीर्षक** 4202012020500 राजकीय उ.मा.विद्यालयों का भवन निर्माण, विस्तार, विद्युतीकरण एवं भूमि/भवन क्रय (जिला योजना) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Digitally signed by
KRISHNA KUMAR GUPTA
Date: 28-01-2026
(कृष्ण कुमार गुप्ता)
विशेष सचिव।

संख्या- /2026/ /001-8-15-1-2026, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री जी (स्ववतंत्र प्रभार), माध्मिक शिक्षा विभाग को मा० मंत्री जी के सूचनार्थ।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ०प्र०, प्रयागराज।
3- सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी।
4- अपर शिक्षा निदेशक, राजकीय माध्यमिक, उ०प्र०, प्रयागराज।
5- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, माध्यमिक/सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश (द्वारा शिक्षा निदेशक, माध्यमिक)।
6- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा शिक्षा निदेशक, माध्यमिक)।
7- प्रबन्ध निदेशक/परियोजना प्रबन्धक/नोडल अधिकारी, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (उ०प्र० जल निगम), उ०प्र० आवास विकास परिषद, उ०प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि० एवं उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड (यू०पी० सिडको)।
8- वित्त नियंत्रक शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज ।
9- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11
11- गार्ड बुक/ग्रिड रिपोर्ट।

आज्ञा से,

Digitally signed by
SANDEEP PARMAR
Date: 29-01-2026
10:38:39
(संदीप परमार)
संयुक्त सचिव।

प्रोजेक्ट अलंकार योजनान्तर्गत प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन संचालित राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में विद्युतीकरण कराये जाने हेतु सूची:-

प्रोजेक्ट अलंकार योजनान्तर्गत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में विद्युतीकरण हेतु प्रस्ताव

क्र0सं	जनपद	क्र0सं	40 मीटर से अधिक दूरी वाले राजकीय माध्यमिक विद्यालय जहां विद्युत कनेक्शन नहीं है	कुल मांग धनराशि
1	मेरठ	1	राजकीय हाईस्कूल बहरोड़ा	622302
		2	राजकीय हाईस्कूल धनावली डाहर	1095662
		3	राजकीय हाईस्कूल अजराड़ा	665071
			जनपद मेरठ का कुल योग	**2383035**
2	बहराईच	4	राजकीय बालिका इं0का0 हुजूरपुर	163257
		5	राजकीय इंण्टर कालेज भग्गडवा	263513
		6	राजकीय इं0का0 बसहियापाते	25849
		7	राजकीय हाईस्कूल किशुनपुरमाफी	408268
		8	राजकीय हाईस्कूल विशेश्वरगंज	41158
		9	राजकीय हाईस्कूल बहोरिकपुर	33423
		10	राजकीय हाईस्कूल गंगापुर	70530
			जनपद बहराईच का कुल योग	**1005998**
3	रायबरेली	11	राजकीय बालिका इं0का0 डीह	270350
		12	राजकीय बालिका इं0का0 मऊगर्वी	340211
		13	राजकीय हाईस्कूल जनई	380781
		14	राजकीय हाईस्कूल बिरनावां	182981
		15	पं0दीन0दय0उ0राजकीय माडल इं0का0 असहन जगतपुर	172654
		16	राजकीय हाईस्कूल बेला-भेला	13617
		17	राजकीय इं0का0 छतोह	271567
		18	राजकीय बालिका हाईस्कूल छतोह	176665
		19	राजकीय हाईस्कूल चांदाटीकर	9270
			जनपद रायबरेली का कुल योग	**1818096**

4	**अयोध्या**	**20**	राजकीय हाईस्कूल मानूडीह	42860
		21	राजकीय हाईस्कूल बहरास	27238
			जनपद अयोध्या का कुल योग	**70098**
5	**बुलन्दशहर**	**22**	राजकीय इण्टर कालेज कौलसेना	500785
		23	राजकीय इण्टर कालेज खेतलपुर भासौली	110140
			जनपद बुलन्दशहर का कुल योग	**610925**
6	**गाजियाबाद**	**24**	राजकीय हाईस्कूल सैदपुर हुसैनपुर डीलना	1048000
			जनपद गाजियाबाद का कुल योग	**1048000**
7	**मऊ**	**25**	राजकीय उ0मा0वि0 अइलख रतनपुरा मऊ	229532
		26	राजकीय उ0मा0वि0 सुल्तानीपुर रानीपुर	239636
			जनपद मऊ का कुल योग	**469168**
8	**उन्नाव**	**27**	राजकीय हाईस्कूल आसीवन उन्नाव	28241
			जनपद उन्नाव का कुल योग	**28241**
			महायोग	**7433561**
	रूपया चौहत्तर लाख तैंतीस हजार पांच सौ इकसठ मात्र			

Digitally signed by
SANDEEP PARMAR
Date: 29-01-2026
10:40:16

(संदीप परमार)
संयुक्त सचिव।